Dr. Parikshit kr singh
Dept. of L.S.W.
SNSRKS College, Saharsa

कारखाना अधिनियम 1948

मजदूरी सहित वार्षिक अवकाश
(Annual leave with wages)

कारखाना अधिनियम 1948 के अध्याय 8 में धारा 78 से 84 में मजदूरी सहित वार्षिक अवकाश से संबंधित प्रावधानों का वर्णन है, जो निम्नलिखित है-

(i) प्रस्तुत अध्याय का क्षेत्र (Application of the chapter)

यदि श्रमिकों को किसी कानून के अधीन या किसी समझौते के अन्तर्गत अवकाश के विषय में कोई अधिकार मिलता है तो इस अध्याय का उन अधिकारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस अध्याय के प्रावधान किसी भी रेलवे वर्कशाप में काम करने वाले श्रमिकों पर लागू नहीं होंगे।

(ii) मजदूरी सहित वार्षिक अवकाश (annual leave with wages)

ऐसे प्रत्येक श्रमिक जिन्होंने कैलेण्डर वर्ष में किसी कारखाना में 240 दिन या उससे अधिक अवधि के लिए काम किया हो तो आगामी कैलेण्डर वर्ष में मजदूरी सहित वार्षिक अवकाश की अनुमति दी जायेगी। जिसकी गणना निम्न रूप में की जायेगी।

(a) वयस्क श्रमिकों के लिए उनके द्वारा किए गए काम के प्रति 20 दिन पर 1 दिन के हिसाब से।

(b) बालक श्रमिकों के लिए उनके द्वारा दिये गये काम के प्रति 15 दिन पर 1 दिन के हिसाब से।

240 दिनों की गणना में निम्न दिनों को भी गिना जायगा

Scanned with CamScanner

(a) कामबंदी किसी स्थायी आदेशों के तरह स्वीकृत श्रम के दिन

(b) महिला श्रमिकों को प्रसव 12 सप्ताह का मातृत्व लाभ के दिन

(c) पूर्व के वार्षिक अर्जित अवकाश को आगामी वर्ष में उपभोग के दिन

वार्षिक अर्जित अवकाश में उन समस्त छुट्टियों को शामिल नहीं किया जाएगा जो ऐसे अवकाश के बीच अथवा पहले या बाद में पड़ती है। यदि किसी श्रमिक की सेवा 1 जनवरी या बाद में शुरू होती है तो उसे शेष दिनों के 2/3 दिनों के आधार पर अर्जित अवकाश का लाभ दिया जायेगा।

यदि किसी कैलेण्डर वर्ष के बीच किसी श्रमिक को पद मुक्त या पदच्युत कर दिया जाता है या सेवाकाल में ही उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसे या उसके उत्तराधिकारी अथवा नामांकित को निर्धारित दर पर मजदूरी प्राप्त करने का अधिकार होगा। नौकरी छोड़ने वाले श्रमिकों को भी अवकाश के एवज में मजदूरी देना होगा। छुट्टियों की गणना करते समय आधे दिन या आधे से अधिक दिन को पूरा दिन माना जायेगा। एक वयस्क श्रमिक वार्षिक अर्जित अवकाश को अधिक से अधिक 30 दिन तक संचित कर सकता है तथा एक बालक श्रमिक वार्षिक अर्जित अवकाश को अधिक से अधिक 40 दिन तक संचित कर सकता है।

सामान्य सेवा में नियुक्त श्रमिकों से वार्षिक अर्जित अवकाश हेतु कम से कम 15 दिन पूर्व प्रबंधक को

Scanned with CamScanner

प्रार्थना पत्र देना अनिवार्य है तथा लोकोपयोगी सेवा में अवकाश लेने हेतु कम से कम 30 दिन पूर्व प्रार्थना पत्र देना अनिवार्य है।

परन्तु बीमारी की दशा में वार्षिक अर्जित अवकाश हेतु उपरोक्त शर्तों में छूट दिया गया है। किसी भी वर्ष में अधिक से अधिक तीन बार ही अवकाश लिया जा सकता है। उपर्युक्त योजना की सूचना कारखाना में स्पष्ट भाषा और सुविधाजनक स्थानों पर प्रकाशित करना होगा।

(iii) अवकाश की अवधि की मजदूरी (Wages during leave period)

यदि कोई श्रमिक अधिनियम की धारा 78 या 79 के अन्तर्गत मजदूरी सहित अवकाश प्राप्त करता है, तो उसे अवकाश की अवधि की मजदूरी पूर्ण औसत दैनिक मजदूरी के बराबर देय होगी। इसमें अधिक समय की मजदूरी (overtime wages) तथा बोनस शामिल नहीं होगी, किन्तु महँगाई भत्ता तथा रियायती दर पर मिलने वाले लाभों का नकद मूल्य सम्मिलित होगा। रियायती दर पर लाभ एक आदर्श परिवार के आधार पर दिया जाता है, जिसमें श्रमिक उसकी पत्नी तथा 14 वर्ष से कम आयु वाले दो बच्चों को अर्थात् कुल मिलाकर 3 वयस्क उपयोग इकाइयाँ। इस संबंध में राज्य सरकार को नियम बनाने का अधिकार प्राप्त है।

(iv) कुछ परिस्थितियों में अग्रिम भुगतान (Payment in advance in certain cases)

Scanned with CamScanner

वयस्क श्रमिकों को 4 दिन या उससे अधिक और बालक श्रमिक को 5 दिन या उससे अधिक मजदूरी सहित अवकाश की अनुमति दिया जायगा। स्वीकृत अवकाश की अवधि के लिए मजदूरी का भुगतान किया जायगा।

(V) अदत्त मजदूरी या चुकाया जाने वाले मजदूरी वसूल करने की रीति (Mode of recovery of unpaid wages)

इस अध्याय के अन्तर्गत नियोक्ता द्वारा भुगतान नहीं की जाने वाली रकम की वसूली उसी प्रकार की जायेगी जिस प्रकार मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936 के अन्तर्गत विलम्बित मजदूरी (delayed wages) की वसूली की जाती है।

(vi) नियम बनाने का अधिकार (Power to make rules).

राज्य सरकार कारखाना के प्रबन्धकों द्वारा ऐसे रजिस्टरों को रखने और उन्हें कारखाना निरीक्षकों की जाँच के लिए उपलब्ध करने के निर्देश देने सम्बन्धी नियम बना सकती है।

(vii) कारखाना को छूट देने का अधिकार (Power to exempt factories)

राज्य सरकार यदि इस बात से संतुष्ट हो जाय कि किसी कारखाना में श्रमिकों पर लागू होने वाले अवकाश सम्बन्धी नियम उस अध्याय के प्रावधानों से कम अनुकूल नहीं है तो वह एक लिखित आदेश द्वारा उस कारखाना को उस प्रावधान से छूट दे सकती है।

—

Scanned with CamScanner